UPMA010038202026

न्यायालय – सत्र न्यायाधीश, मऊ।

उपस्थितः संजय कुमार यादव-।।। **(**उच्चतर न्यायिक सेवा**)**

जे.ओ.कोड – यू.पी.**2023**

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं**. 1351/2026**

नयाज अहमद उम्र लगभग **53** वर्ष पुत्र स्व० हफीर्जुरहमान निवासी मुहल्ला घासीपुरा तहसील सदर जनपद मऊ।

-------- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य

2. लियाकत अली सरदार उम्र लगभग **57** वर्ष पुत्र मजहर अली सरदार निवासी मुहल्ला घासीपुरा तहसील सदर जनपद मऊ।

---------- विपक्षीगण

मु.अ.सं.- **221/2026**
धारा-**3(5),308(5),351(2),115(2),352** बी.एन.एस.
थाना- कोतवाली नगर**,** जिला मऊ।

दिनांकः **13.08.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त नयाज अहमद की ओर से मुकदमा अपराध सं. 221/2026 धारा 3(5), 308(5), 351(2), 115(2), 352 बी.एन.एस. थाना कोतवाली नगर, जिला मऊ के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं उ.प्र.राज्य की तरफ से विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी लियाकत अली पुत्र मजहर अली सरदार मुहल्ला घासीपुरा, मऊ का निवासी है। वादी की कई किता आराजियात मौजा परदहां अर्बन, तहसील सदर, मऊ में है। जिसके बाबत वादी के पूर्वजों ने अपने सह खातेटारों के साथ दिनांक 24 मई 1964 को पारस्परिक समझौता तहरीर लिखा, जिससे वादी के हिस्से में आराजी नं0 1375 मौजा परदहां अर्बन में 51 मण्डा हिस्सा होता है। वादी ने उक्त 51 मण्डा को बाउण्ड्रीवाल बनाकर सुरक्षित कर रखा है। वादी के चाचा न्याज अहमद पुत्र हफीजुर्रहमान निवासी घासीपुरा, तह० सदर, जनपद- मऊ का इसी आराजी में 24 मई 1964 के बंटवारे अनुसार 4 मण्डा जमीन होता है, जो 51 मण्डे से अलग भूमि है। किन्तु उक्त न्याज अहमद आये दिन वादी व उसके परिवार को डरा-धमका कर अवैध नाजायज धन की मांग करते रहते हैं। वादी को बार-बार धमकी दे रहे हैं कि यदि एक करोड़ रुपया नहीं दोगे तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लोगों की हत्या कर दूंगा। इसी धमकी के क्रम में वादी ने 10 लाख रुपया दिनांक 15.03.2024 को अपने एवं अपने भाई के खाते से दिया, जिससे उक्त न्याज अहमद खासे नाराज हुए एवं दिनांक 08.04.2024 को यह कहते हुए लौटा दिए कि एक करोड़ रुपया एक मुश्त रकम हमें नगद चाहिए बैंक के खाते द्वारा नहीं। यदि एक करोड़ रुपया नहीं दोगे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। आये दिन गाली-गलौज, धमकी के क्रम में दिनांक 20.06.2026 को वादी लगभग 11 बजे दिन में वादी अपना आराजी नं0 1375 परदहां अर्बन पर था कि वादी के चाचा न्याज अहमद एवं दिलनवाज अहमद, इफ्तेखार अहमद, नौशाद अहमद पुत्रगण शाहनवाज निवासी- सहादतपुरा मालिक यूनिक कंस्ट्रक्शन एवं अन्य तीन-चार लोगों के साथ योजनाबद्ध तरीके से अवैध हथियार एवं हाथा में लाठी एवं लोहे का राड लेकर वादी पर हमला कर दिए एवं उपरोक्त लोगों ने वादी को जमीन पर पटक दिया और न्याज अहमद ने हत्या करने की नियत से गला दबा दिया एवं उपरोक्त लोगों में से एक व्यक्ति ने वादी का

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2026.08.14 11:03:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अण्डकोष दबा दिया जिससे वह बेहोश/अर्धमूर्छित हो गया। उसी समय मौके पर शाहनवाज आलम पुत्र नसीम अहमद निवासी मुंशीपुरा एवं राजीव कुमार सिंह पुत्र राम सिंह निवासी-नखतपुर के साथ अन्य तीन-चार लोग आए तो उपरोक लोग वहां से भगे और यहीं लोग बेहोशी के हालत में वादी को घर पहुंचाए। घर पर दवा इलाज हुआ तो वादी को होश आया। दिलनवाज, इफ्तेखार एवंनौशाद यह कहकर प्रार्थी को बार-बार धमकी देते हैं कि हम लोगों के फर्म में स्व० मुख्तार अंसारी विधायक का परिवार भी शामिल है तुमको कहां गायब करा देंगे पता भी नहीं चलेगा ।

4. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त मुकदमा आवेदक न्याज अहमद के विरूद्ध प्रथम दृष्टया नहीं बनता है। आवेदक बुनकर मजदूर है, साड़ी किराये पर बुनकर मजदूरी का कार्य करता है और उसी से अपने परिवार का पालन करता है। उपरोक्त धारायें आवेदक के विरूद्ध जमानतीय प्रकृति की है, परन्तु धारा 308(5) बी०एन०एस० आवेदक के विरूद्ध नहीं बनता है। वादी मुकदमा द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर तहरीर किया गया है। आवेदक किसी भी प्रकार का हथियार लाठी, लोहे का राड़ या किसी प्रकार का हथियार का कोई उपयोग नहीं किया गया है, न ही इस तरह की कोई घटना कम है। वादी मुकदमा जमीन की दलाली करता है और उसके साथ में उसके गैंग है बतौर साक्षी के रूप में नाम अंकित किया है। वादी मुकदमा का अभिकथन कि वह बेहोश हो गया था। यह तथ्य पूर्ण रूप से झूठा है क्योंकि यदि बेहोश होता तो उसके आदमी हास्पिटल लेकर जाते न कि उसके घर ले जाते। जबकि वादी मुकदमा के अभिकथन की उसे चोट बेहोश होने पर घर गया होता न हास्पिटल ले जाते पूर्ण रूप अभिकथन गलत है। उपरोक्त मुकदमा में धारा 308(5) बी०एन०एस० (Who commits extortion by putting a person is fear of death of grevious hurt. 10 Yrs. and fine) जो आवेदक के विरूद्ध नहीं बनता है। आवेदक के तरफ से ऐसा कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया गया हैं। आवेदक अकेला है, तथा उसकी जमीन हड़पने के लिये अपने भाई के साथ मिलकर साजिश के तौर पर आवेदक के खाते में 10,00,000/- रूपया ट्रांसफर किये इसकी जानकारी वादी को नहीं थी, जब जानकारी हुई तो वादी ने वो रूपया आनलाइन वापस किया। जिससे आवेदक की जमीन हड़पी जा सकें। वादी मुकदमा लियाकत अली, शाहिद जमाल, आसिफ अली, मन्नौवर अली, अजहर अली, मसउद अली द्वारा आवेदक के दो तिहाई हिस्से के जमीन को रईस अहमद पुत्र सलाउद्दीन मुहल्लापशु अस्पताल के पीछे सहादतपुर, मऊनाथ भंजन, जनपद मऊ को दिनांक 06.10.2021 को रजिस्टर्ड मुआयदावय किया जिसके बावत कूटरचित दस्तावेज व आपराधिक न्यास भंग के कारण मुख्य दण्डाधिकारी मऊ की अदालत में अन्तर्गत धारा 173 (4) बी०एन०एस०एस० दाखिल किया गया है। उपर्युक्त आधारों पर प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. राज्य की ओर से विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) द्वारा उपर्युक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया है प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा व उसके परिवार की जमीन पर कब्जा करने के धमकी दी जा रही है तथा एक करोड़ रूपये रंगदारी न देने पर वादी व उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी गयी है। मामले में अभी विवेचना प्रचलित है। अग्रिम जमानत का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। उपर्युक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

6. अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त पर वादी मुकदमा व उसके परिवार वालों की जमीन हड़पने की धमकी देने तथा एक करोड़ रूपये रंगदारी मांगने का आक्षेप है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी पक्ष एवं अभियुक्त पक्ष एक ही वंशावली के सदस्य हैं। दोनों पक्षों में पैतृक सम्पित्त/जमीन के बंटवारे का विवाद है, जो सिविल प्रकृति का है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही यह कथन किया गया है कि वादी द्वारा दिनांक 15.03.2024 को अपने व भाई के खाते से जो दस लाख रूपये प्रार्थी/अभियुक्त को दिया गया था, उसे प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दिनांक 08.04.2024 को लौटा दिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के ऊपर लाठी व लोहे की रॉड से हमला करने तथा उसके जमीन पर पटक कर गला दबाने एवं वादी का अण्डकोष दबाने का कथन किया गया है, परन्तु पत्रावली पर वादी मुकदमा की कोई आघात आख्या उपलब्ध नहीं है। अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत मामले के अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त को कोई अन्य आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुये यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त का

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार पाता है। प्रार्थी/अभियुक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

8. प्रार्थी/अभियुक्त नयाज अहमद की ओर से मुकदमा अपराध सं. 221/2026 धारा 3(5), 308(5), 351(2), 115(2), 352 बी.एन.एस. थाना कोतवाली नगर, जिला मऊ के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

9. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार रूपये 50,000/- (पचास हजार रूपए) का निजी बंधपत्र व उसी राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे निम्नांकित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जायेः-

1- प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा।

2- प्रार्थी/अभियुक्त आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा, जिसमें उसे आरोपित किया गया है।

3- प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

4- प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(संजय कुमार यादव-।।।**)**
जे.ओ.कोड-यू.पी.2023
सत्र न्यायाधीश ,
मऊ।

दिनांकः 13.08.2026